सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2022

क्र. 1564-495-2021-अ-तिहत्तर.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक 449-495-2021-अ-तिहत्तर, दिनांक 23 फरवरी 2022 से जारी "एम. पी. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022" के नियम 8.1 में विभाग को प्रदत्त अधिकार के परिप्रेक्ष्य में "एम. पी. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022" के नियम 5.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है.—

इंक्यूबेटर से अभिप्रेत है स्टार्टअप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिये परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग, संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है. एवं

1. इंक्यूबेटर एक कानूनी इकाई हो.

   (क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी अथवा

   (ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत एक न्यास अथवा

   (ग) कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा

   (घ) किसी विधायी अधिनियम के माध्यम से निर्मित एक सांविधिक निकाय.

2. इंक्यूबेटर में कम से कम 20 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो.

3. इंक्यूबेटर के पास व्यवसाय विकास और उद्‌मशीलता में अनुभवी एक पूर्णकालीक प्रमुख हों, जिसकी सहायता एक सक्षम टीम द्वारा की जायेगी जो परीक्षण और विचारों के वैधीकरण में स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ वित्त, विधिक और मानव संसाधन संबंधी कार्यों के लिये जिम्मेदार होगा.

4. इंक्यूबेशन सेंटर में केवल स्टार्टअप्स इंक्यूबेट अथवा कार्यरत हो सकेंगे.

5. मध्यप्रदेश में स्थापित/कार्यरत होना अनिवार्य होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

क्र. एफ-02-02-2021-अ-तिहत्तर.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक एफ-02-02-2021-अ-73 दिनांक 29 नवम्बर 2021 से जारी "मुख्यमंत्री उद्‌यम क्रांति योजना" की कंडिका क्रमांक 1 (ii) पात्रता के भाग (क) तथा (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(क) आयु	18-45 वर्ष
(ख) शैक्षणिक योग्यता	8वीं कक्षा उत्तीर्ण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि भूषण सिंह, अपर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2022

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-6-1-2005-तीस.—राज्य शासन की राय में यह आवश्यक होने पर कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों तथा अवशेषों को नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने, परिवर्तित होने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करने की दृष्टि से म. प्र. एन्शीयेन्ट मान्युमेंटस एण्ड आर्क्योलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (16) अनुसार स्मारक गौरी सोमनाथ मंदिर तथा सिद्धेश्वर मंदिर, तहसील मान्धाता, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना एफ 6-1-2005-सं.-तीस, दिनांक 20 सितम्बर 2005 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किया गया था. कलेक्टर, खण्डवा के प्रस्ताव अनुसार उक्त अधिसचूना की अनुसूची के कॉलम 6 एवं 7 में संशोधन किया जाना है.

अतः तद्‌नुसार पूर्व अधिसूचना के राजस्व क्षेत्र एवं क्षेत्रफल में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.